न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 104/2020 पीठासीन अधिकारी

दिनांक रजु :– 1-9-2020 श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

ब्रजमोहन पुत्र गंगाराम जाति नाई निवासी ग्राम गोल तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम

1. हर आम खास
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

दावा उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 16/8/22

उपस्थित :– श्री वैभव गुरावा एडवोकेट – वादी की ओर से

पैरोकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय बाबत प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं0 238 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम गोल तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। उक्त आराजी मे हिस्सा 1/2 चन्दर पुत्र देवा माली तथा हिस्सा 1/2 रामस्वरूप, रामेश्वर पि0 छोट्या कौम नाई के नाम दर्ज है, चन्दर पुत्र देवा माली ने रूपयो के लेनदेन के सिलसिले में अपना हिस्सा 1/2 रामस्वरूप, तथा रामेश्वर पि0 छोट्या नाई के वंशज नही था तथा दोनो भाइयो ने अपने जीवनकाल मे वादी के पक्ष में पंजीकृत वसीयत उपपंजीयक कार्यालय लालसोट के समक्ष पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 7 पृष्ठ संख्या 104 कम संख्या 21 पर पंजीबद्व करवा दी थी जो तथा खातेदार चन्दर पुत्र देवा माली फौत हो चुका है तथा उसके कभी कोई वंशज नही है एवं रामस्वरूप, रामेश्वर पि0 छोट्या नाई का देहान्त भी हो चुका है तथा वादी तनहा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

समपूर्ण आराजी वादग्रस्त पर काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा है। वादी जब आराजी वादग्रस्त भूमि पर के.सी.सी. ऋण लेने गया तो खातेदारी के रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दिनांक 24–02–2020 तहसील कार्यालय गया तो न्यायालय मे कार्यवाही करने का सुझाव देने पर वादपत्र पेश करने का वाद हैतुक प्राप्त हुआ तथा वादी ने आराजी वादग्रस्त के मृतक खातेदार रामेश्वर, रामस्वरूप पि0 छोट्या नाई का कानूनी उत्तराधिकारी होने तथा 1/2 हिस्सा पूर्वजो के समय से रहन होने के कारण खातेदार उद्घोषित करने तथा कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नही करने की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी करने की दादरसी चाही।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से न्यायालय आदेश पर विवादित आराजी के बाबत तहसीलदार लालसोट से रिपोर्ट दिनांक 23–07–2021 को प्राप्त हुई जिसमे भी कब्जा वादी का बताया गया है जो शामिल पत्रावली है। अन्य कोई उजदार प्रकरण में उपस्थित नही आया है। वादी की ओर वादपत्र के समर्थन मे जमाबन्दी सम्वत 2072–75, खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2017, खतौनी बन्दोवस्त सम्वत, जमाबन्दी संम्वत 2031–2034, खतौनी बन्दोबस्त 2022, खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017, प्रतिलिपी पंजीकृत वसीयत, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत 2021, खतौनी बन्दोबस्त 2002 से 2022, राशन कार्ड की प्रति, जमाबन्दी संम्वत 2027 से 2030, 2028 से 2031, खसरा गिरदावरी सम्वत 2032 से 2035, 2035 से 2038, 2040 से 2043, 2044 से 2046, 2042 से 2051, 2052 से 2055, 2056 से 2059 पेश किया तथा वादी ने वाद के समर्थन मे गवाह रामफुल, स्वयं वादी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जो शामिल मिसल किया गया।

बहस एकतरफा वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि विवादित आराजी के हिस्सा 1/2 पर वादी को मृतक रामेश्वर, रामस्वरूप पि0 छोट्या के वारिस के तौर पर तथा शेष हिस्सा 1/2 जिसकी खातेदारी चन्दर पुत्र देवा माली के नाम दर्ज है पर बजमाने बुजुर्गान से कब्जा होने तथा खातेदार के लम्बे समय से बेकब्जा रहने के आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है तथा धारा 63(4) आरटीए के तहत कब्जे से वंचित करने के वाद पुनः कब्जा प्राप्त करने की कानूनी मियाद भी अर्सा पूर्व समाप्त हो चुकी है इसलिए वादी का वाद डिकी किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया मृतक खातेदार रामस्वरूप, रामेश्वर पि0 छोट्या नाई सम्पूर्ण आराजी वादग्रस्त पर काबिज है इस बावत् खसरा गिरदावरी 2014 से लगायत राजस्व रिकार्ड मे कब्जे बाबत इन्द्राजात दर्ज चले आ रहे है तथा मृतक खातेदार चन्दर पुत्र देवा ने

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

अपने जीवनकाल मे कभी भी रहन वागुजास्त अथवा कब्जा प्राप्त करने वावत कोई कार्यवाही की हो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रतीत नही होता है। जहां तक धारा 63(4) राज0 का0 अधि0 के प्रावधान का औचित्य है तो वह स्पष्ट है कि खातेदार को अपनी कृषि भूमि पर कब्जा लेना हो तो उसकी समय सीमा 12 वर्ष बेकब्जा करने की तिथी से नियत है तथा उक्त कानूनन विहित समयावधि के अवसान के बाद कब्जा खातेदार का अपनी खातेदारी भूमि का पुनः कब्जा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह सुस्थापित है कि मृतक खातेदार चन्दर पुत्र देवा माली के अपने जीवनकाल में आराजी वादग्रस्त के कब्जे की प्राप्ति के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नही करने से उसकी कब्जा प्राप्ति की मियाद समाप्त हो चुकी है। चुंकी आराजी वादग्रस्त के हिस्सा 1/2 की खातेदारी रामस्वरूप, रामेश्वर पि0 छोट्या नाई के नाम दर्ज थी तथा रामस्वरूप, रामेश्वर पि0 छोट्या नाई ने अपनी समस्त जायदाद की वसीयत वादी के पक्ष में उपपंजीयन कार्यालय लालसोट मे पंजीवद्व करवा दी इसलिए यह तथ्य निर्विवाद है कि वादी मृतक रामस्वरूप, रामेश्वर पि0 छोट्या नाई का एकमात्र उत्तराधिकारी है इसलिए आराजी वादग्रस्त में मृतक रामस्वरूप, रामेश्वर पि0 छोट्या नाई को प्राप्त समस्त अधिकार वादी को स्वत+ वसीयती प्राप्त हो चुके है तथा वादी अपनी वादग्रस्त की वसीयती तथा पैतृक लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने का हकदार है। इसलिए हमारी राय मे वादी का वाद पत्र डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 238 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा वाकै ग्राम गोल तहसील लालसोट का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 तहसील लालसोट आराजी खसरा नं0 238 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा वाकै ग्राम गोल तहसील लालसोट के राजस्व रिकार्ड मे वर्तमान इन्दाज को विलोपित कर वादी का नाम खातेदार के तौर पर दर्ज करे। इस आशय की तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/8/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली वाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)